"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2017—— फाल्गुन 19 , शक 1938

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–10/2017/वा.कर(आब.)/पांच (09). —– छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप–नियम (13) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा निर्दिष्ट करती है कि एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बोतल भराई फीस के लिये बोतलों पर (बोतल में सम्मिलित है मेग्नम, क्वार्ट, पिन्ट, या निप बोतल) रूपये 1.50 प्रति प्रूफ लीटर की दर से देय विहित करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2017

कमांक एफ 10–10/2017/वा.कर(आब.)/पांच (09). —– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–10/2017/वा.कर(आब.)/पांच (09), दिनांक 09–03–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 9th March 2017

NOTIFICATION

No F 10-10/2017/CT/EX/V(09). — In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule 18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 the State Government hereby prescribes the bottling fees for the bottles (bottle includes Magnam, Quart, Pint or Nip bottle) for F.L. 9 licensee as Rupees 1.50 per proof litre.

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2017.

By order and in the name of The Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–10 / 2017 / वा.कर(आब.) / पांच (10). — छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप–नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (माल्ट) को बोतल में भरने के लिए एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारियों हेतु निम्नानुसार बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस विनिर्दिष्ट करता है :–

1. एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय बोतल भराई फीस–

क्र.	विदेशी मदिरा का प्रकार	भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल भराई (बॉटलिंग) का विवरण		देय बोतल भराई फीस (बॉटलिंग फीस)
1	माल्ट मदिरा हेतु (माल्ट में बीयर,ऐल, स्टाऊट, पोर्टर तथा साइडर सम्मिलित है)	(क)	छत्तीसगढ़ राज्य में ही विक्रित होने वाली माल्ट मदिरा की बोतल भराई हेतु।	रूपये 1.00 प्रति बल्क लीटर

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2017

क्रमांक एफ 10–10 / 2017 / वा.कर(आब.) / पांच (10). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–10 / 2017 / वा.कर(आब.) / पांच (10), दिनांक 9–3–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 9th March 2017

NOTIFICATION

No F 10-10/2017/CT/EX/V(10) ::: In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule (18) of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government prescribes the bottling fees for bottling of Indian Made Foreign Liquor (Malt) for F.L.9 licensees as follows:-

1. Bottling fees payable by F.L.9 licensee :-

S.No.	Type of Foreign Liquor	Description of Indian Made Foreign Liquor to be bottled		Bottling fees payable
1	For Malt liquor (including Beer, Ale, Stout, Porter and Cider)	(a)	For bottling of Malt liquor to be sold in Chhattisgarh only.	Rs. 1.00 per bulk litre

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2017.

By order and in the name of The Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.